



2026:AHC:22301
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट ए संख्या 6497 वर्ष 2025

कौशल कुमार गुप्ता
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सोम प्रकाश पांडेय
: सी.एस.सी.

न्यायालय सं.-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 3 (मुख्य विकास अधिकारी, जलितपुर) द्वारा पारित दिनांक 11.04.2025 के विवादित कर्की आदेश/पत्र संख्या 48/वी-14/ईएसटी-1/बी.डी.ओ. ईएसटी/2024-25 पर प्रश्न उठाने वाली रिट याचिका को वापस लेने की मांग की है।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त अवलोकन के आधार पर, रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

2 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"